


कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक-2.2.../एक-03-01/2010

अनूपपुर, दिनांक 13.06.2023

मैं एस.एस. परमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर धारा 194/409 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत लंबित "सूची-अ" के अनुसार कुल 78 प्रकरण, "सूची-ब" के अनुसार विचाराधीन बंदियों से संबंधित कुल 14 लंबित प्रकरण एवं "सूची-स" के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत लंबित कुल 02 रिमाण्ड पत्रावली को विकर्षित कर श्री जयसिंह सरौते, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा के न्यायालय में विधिवत् निराकरण किए जाने हेतु अंतरित करता हूं।



(एस.एस. परमार)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म.प्र.)


// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक-29 / एक-2-1 / 2011

अनूपपुर, दिनांक 13.06.2023

वर्तमान में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा का पद रिक्त होने के फलस्वरूप पूर्व में जारी संशोधित विविध आदेश क्रमांक 21 दिनांक 15.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त विविध आदेश में **व्यवहार कार्य** के **सरल क्रमांक 06** के बिन्दु क्रमांक 01 से बिन्दु क्रमांक 10 तक के समस्त कार्य (जिला न्यायाधीश द्वितीय कोतमा का पद रिक्त होने की अवधि तक) **सरल क्रमांक 05** में अंकित न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश प्रथम कोतमा द्वारा संपादित किया जावेगा, इसी प्रकार **मोटर दावा दुर्घटना से उत्पन्न प्रकरण** के **सरल क्रमांक 06** के बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 के समस्त कार्य (द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोतमा का पद रिक्त होने की अवधि तक) **सरल क्रमांक 05** में अंकित न्यायिक अधिकारी प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोतमा द्वारा संपादित किया जावेगा, इसी अनुक्रम में **आपराधिक कार्य** के **सरल क्र. 06** के बिन्दुवार 01 से 04 तक के समस्त कार्य (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा का पद रिक्त होने की अवधि तक) **सरल क्रमांक 05** में अंकित न्यायिक अधिकारी श्री जयसिंह सरौते प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा द्वारा संपादित किए जावेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(एस.एस. परमार) ^

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर (म.प्र.)